



जोधपुर
विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
जोधपुर

क्रमांक : जोडि/अ.अ./पीपी एण्ड एम/फा० सामान्य/प्रे० 1851 दिनांक 28/7/07

आदेश

विषय:- कृषि भूमि विक्रय करने एवं बंटवारे में आये कुओं के कृषि कनेक्शनों के नाम परिवर्तन करने बाबत।

तत्कालीन सचिव राजस्थान राज्य विद्युत मंडल, द्वारा जारी आदेश संख्या 11722 दिनांक 15.7.1990 के अनुसार कृषि भूमि विक्रय करने पर नाम परिवर्तन की स्वीकृति जारी करने हेतु अधीक्षण अभियन्ता, अधिकृत है।

समन्वय समिति की दिनांक 21 जून 2007 को 116 वीं बैठक में विषय वस्तु पर विस्तृत चर्चा कर लिये गये निर्णय की अनुपालना में यह आदेश दिये जाते हैं कि :-
"कृषि भूमि विक्रय करने एवं सैटलमेन्ट के कारण आपसी बंटवारे में आये कुओं के कृषि कनेक्शनों के नाम परिवर्तन करने की स्वीकृति के लिए अधीक्षण अभियन्ता के स्थान पर अधिशाषी अभियन्ता अधिकृत होंगे।"

यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होगा।

(ए. एम. लोढा)

मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य एवं आयोजना)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।

प्रतिलिपी निम्नलिखित को वास्ते सूचनार्थ प्रेषित है:-

- सचिव (प्रशासन) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- वित्तीय निदेशक, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- मुख्य अभियन्ता (एम.एम एण्ड टी डब्लू) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- संभागीय मुख्य अभियन्ता (जो.जोन/बी.जोन) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/बीकानेर।
- मुख्य लेखाधिकारी, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- प्रावै.सहायक माननीय अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक महोदय, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- अधीक्षण अभियन्ता (नगर/जिला/परि. एवं संधा./सतर्कता/टी.डब्लू/वाणिज्य/एमएमसी/एमएण्डपी/बीएफएल) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/पाली/बाड़मेर/बीकानेर/जैसलमेर/चुरू/श्रीगंगानगर/हनुमानगढ़।
- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता) /उप अधीक्षक पुलिस (सतर्कता), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- वरिष्ठ लेखाधिकारी (परि.एवं संधा./एम.एम./अंकेक्षण), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/ बीकानेर।
- कम्पनी सचिव/उपनिदेशक (कार्मिक) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- अधिशाषी अभियन्ता(/पवस/विधि/सतर्कता/अंकेक्षण)जोविविनिलि.....

(आप के अधिनिस्थ कार्यरत सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता की अतिरिक्त प्रतिलिपी संलग्न है।)

- जनसम्पर्क अधिकारी जोविविनिलि, जोधपुर

मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य एवं आयोजना)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर